"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2014—पौष 11, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-3/2013/1-6.—राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के लिए एक-एक कक्ष कुल दो नवीन कक्ष निर्माण किया जाता है.

2. इन कक्षों में कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार अमले (Staff) की स्वीकृति दी जाती है :-

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	पद संख्या (3)	कुल पद (4)
1.	संयुक्त सचिव (दो कक्षों हेतु)	01	01
2.	अवर सचिव	01+01	02
3.	अनुभाग अधिकारी	01+01	02
4.	सहायक ग्रेड-1	02+02	04
5.	सहायक ग्रेड-2	02+02	04
6.	सहायक ग्रेड-3	04+04	08
7.	भृत्य	01+01	02
8.	दफ्तरी (दो कक्षों हेतु)	01	01

3. उक्त नवीन कक्षों हेतु अमले (Staff) की व्यवस्था गृह/वन विभाग में उपरोक्त सेवाओं के स्थापना संबंधी कार्य कर रहे वर्तमान अनुभाग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरित/पदस्थ कर पूर्ति की जावेगी.

4. उपरोक्त नवीन कक्षों के गठन के फलस्वरूप गृह एवं वन विभाग में पूर्व में स्वीकृत अनुभागों में से एक-एक अनुभाग समाप्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.